प्रथम अध्याय

शोध विषय का परिचय

1.1 प्रस्तावना

अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं जिनके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। वस्तुत: अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस कारण प्रत्येक राज्य के द्वारा अधिकाधिक विस्तृत अधिकार प्रदान किए जाते हैं और लॉस्की के शब्दों में कहा जा सकता हैं कि "एक राज्य अपने नागरिकों को जिन प्रकार के अधिकार प्रदान करता है उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है।"

प्रकृति के द्वारा मनुष्य को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं, लेकिन इन शक्तियों का स्वयं अपने और समाज के हित में उचित रूप से प्रयोग करने के लिए कुछ बाहरी सुविधायों की आवश्यकता होती है। राज्य का सर्वोच्च लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, इस प्रकार राज्य के द्वारा व्यक्ति को ये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली इन बाहरी सुविधाओं का नाम ही **'अधिकार'** है।

मानव समाज मूल्यों तथा नियमों से संचालित होता है। समय इन मुल्यों और नियमों का सबसे प्रमुख निर्धारक तत्व होता है। समाज के नियामक जब उच्च मानवीय आदर्शो को दृष्टिगत रखते हुए नियम निर्धारित करते है, तो गतिशील रहता है। इसके विपरीत सामाजिक नियमों के नियामक थोड़े से लोगों के हितों को ध्यान में रख कर नियम बनाते हैं, तो समाज

में जड़ता आती है, शोषण और अन्याय प्रश्रय पाते है। ऐसा समाज अनेकानेक दासताओं की बेड़ियों में जकड़ जाता है।

समाज में जब ऐसी विकृति आती है, तो कोई महापुरुष आगे आकर उन विषमताओं पर प्रहार करता है, जो बेड़ियाँ बनकर समाज को जकड़े होती है। एक लंबे संघर्ष में जन-समुदाय ऐसे महामानव का साथ देते है और बेड़ियाँ टूटती है। भारतीय समाज में कई कारणों से दलित महिलाओं के साथ असमानता, अन्याय के अमानवीय व्यवहार होते रहे।

मातृसत्तात्मक समाज व्यवस्था में पुरुष, महिलाओं पर निर्भर अथवा उनके अधीन थे। प्रजनन विशिष्टता के कारण महिला का समय और शक्ति क्षीण होने व प्रगति की प्रक्रिया में बाधा आ जाने के कारण वह उन्नति की स्पर्धा में पिछड़ती गई। कालान्तर में वह पुरुष-सत्ता के अधीन हो गई युरोप में जहां-जहां समाजवादी क्रान्तिया हुई। या औद्योगिक व सामाजिक विकास प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता बनी रही, वहां वह पुरुष के बराबर आगे बढ़ी भारत में पुरूषों के बराबर आने वाली महिलाओं की संख्या नगण्य रही। क्योंकि उस समय महिलाओं की स्थिति गुलामों से भी बदतर थी। शिक्षा का घोर अभाव, संपत्ति में न के बराबर हिस्सा, दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल-विवाह, जिसमें पालने में ही बच्चियों की शादी कर दी जाती थी एवं बाल-विधवा जैसी घृणित परंपराएं विद्यमान थी। भारतीय समाज में खासकर उच्च वर्ण की हालत एक गुलाम के जैसी स्थिति थी। संपत्ति में उन्हें अधिकार न मिले और वे उसके दावेदार न बन सकें इसलिए सती-प्रथा जैसी घृणित परंपराएं हमारे समाज के उच्च वर्गों में थी। जबकि शूद्रों में यह परंपरा न थी क्योंकि संपत्ति के नाम पर उनके पास खास कुछ होता ही न था। लेकिन जो महिलाएं आगे बढ़ीं वह वर्ग दृष्टि से पूंजीपतियों की महिलाएं रही और वर्ण दृष्टि से ब्राहमणों की महिलाएं रहीं। दलित महिलाओं की दशा

तुलनात्मक दृष्टि से आज भी सर्वाधिक सोचनीय है। भारतीय समाज में कई कारणों से दलित महिलाओं के साथ के साथ असमानता, अन्याय व अमानवीय व्यवहार होते रहें।

दलित महिलाओं की स्वतंत्रता का अर्थ इतना है कि वह परिवार के भरण-पोषण के लिए घर के भीतर तो श्रम करती ही हैं, वह मजदूरी के लिए बाहर भी जाती है। उसे सुखी और संतुष्ट इसलिए मान लिया गया है कि उसे अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ कभी जोरदार आवाज नहीं उठाई। कहने को कहा जाता है। कि दलित महिलाएं हिन्दू कानून से मुक्त है। जब हिन्दू महिलाएं तलाक की कल्पना भी नहीं कर सकती थी, वहाँ दलित महिलाओं में पूनर्विवाह का प्रचलन आम था। किन्तु, सामाजिक रूप से दलित महिलाएं हिन्दू महिलाओं से भिन्न नहीं थी। और दलित महिलाएं तो शूद्र वर्ण के अन्तर्गत ही थीं। वह हिन्दू महिआओं कि तरह दलित महिलाएं भी शिक्षा से वंचित रखी गयी थी, इसका परिणाम दलित महिलाओं के लिए अच्छा नहीं रहा।

दलित महिलाएं इस देश में सदियों से शिक्षा, ज्ञान आर्थिक साधन आदि से वंचित रही है और आज भी वह इन सबसे वंचित ही है। आधुनिक भारत में भी दलित महिलाओं को अपने विकास का जो अवसर मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया है। संवैधानिक प्रावधान के बावजूद जहा महिलाएं दोयम-दर्जे की नागरिक समजी जाती हैं वही दलित महिलाएं विरूद्ध बरते जा रहे भेदभावों में एक पीढ़ी और नीचे है।

आधुनिक भारत में महामानव ज्योतिबा फूले से लेकर बाबासाहब डॉ. अम्बेडकर तक सभी ने दलित महिलाओं के उत्थान के लिए, उसमे अपने शिक्षा के प्रति अभिरूचि पैदा करने के लिए, उनमें अपने-अपने अधिकारों के प्रति सजगता लाने और उनमें अपने अस्तित्व की चेतना जगाने के लिए हर तरह के प्रयास किए। और उसी तरह महिलाओं का समाज में स्थान उनकी मर्यादा, विचार-स्वातंत्र, कानूनी हकों में समानता, उनके जीवन मूल्यों

का उन्नयन, बिना भेदभाव किए महिलाओं में आगे बढ़ने की जिजीविषा में उसकी आहत चेतना को जागरूक करने का श्रेय डॉ. अम्बेडकर को है। जिन्होंने 'हिन्दू कोड बिल' के माध्यम से उनके अधिकारों की सबसे पहले परिकल्पना की।

भारतीय समाज में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हिन्दू महिलाओं की (इसमें दलित महिला भी शामिल है) दुर्दशा, शूद्रों जैसी ही थी महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए हिन्दू धर्म में कोई विधि में विधि-विधान नहीं था। वे सम्पत्ति के अधिकार से भी वंचित थी। जब पुरुष अपनी पत्नियों को छोड़ देते थे, तब अधिकतम चार या पांच रूपए गुजारे भत्ते के लिए दिया जाता था। ऐसी महिलाएं स्वय तो दुखी रहती थीं। उसके माता- पिता भी कष्ट उठाते थे।

डॉ. अम्बेडकर ने इनके उद्धार और विकास के लिए संवैधानिक अधिकार दिलाने के उद्देश्य से 'हिन्दू कोड बिल' का पारूप बनाया। 'हिन्दू कोड बिल' का एक लंबा दौर चला। इस दौर में समय के प्रवाह को न्याय, समता एवं विवेक की दिशा में मोड़ने का ऐतिहासिक कार्य डॉ. अम्बेडकर ने किया। उसमें महिलाओं को सम्पत्ति में समान अधिकार, विधवाओं को पूनर्विवाह अधिकार, महिलाओं को भी तलाक देने का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, बाल विवाह निषेध, गर्भवती महिलाओं को प्रसूति अवकाश, बहुपत्नी विवाह का अन्त जैसे अधिकार दिलाए। डॉ. अम्बेडकर ने भारत के प्रथम विधि मंत्री के रूप में 'हिन्दू कोड बिल' बनाकर संसद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसका भारी विरोध हुआ। 'हिन्दू कोड बिल' नये स्वस्थ व सशक्त स्वरूप में सामने आया। तो पुरुष प्रधानसत्ता की परंपरागत व्यवस्था की मानो चूलें हिलने लगीं। हिन्दूओं की उदार कथनी में महिलाओं का स्थान देवों के बाद पूजनीय है। किन्तु अनुदार करनी में महिला का दर्जा एक अववंचित सर्वहारा का दर्जा था। डॉ. अम्बेडकर ने 'हिन्दू कोड बिल' के लिए हिन्दूओं के धर्मशास्त्रों, वेदों का वही आधार

लिया है। जिसमें महिला आदमी के ऊपर देवी न सही कम-से कम समान इन्सान का दर्जा पा सके। यह बिल 11 अप्रैल 1947 में सेलेक्ट कमेटी द्वारा गठित किया गया तथा चार वर्षो तक विवादों एवं बहसों से घिरा रहा। यह बिल पास न होने से 1951 में डॉ. अम्बेडकर ने अपने मंत्री पद से त्याग पत्र दिया। चार वर्ष जीने के बाद इसकी हत्या कर दी गई। (It was killed and buried, unwept and unsung after clauses were passed) जिस पर किसी ने आंसू नहीं बहाये पूरे एक वर्ष तक सरकार ने इसे सेलेक्ट कमेटी को सौपंने की जरूरत महसूस नहीं की। बाद में 1955-56 में यह बिल चार खण्डों के रूप में पारित हुआ। 'हिन्दू कोड बिल' के गठन में डॉ. अम्बेडकर का और महिला संगठनो का विशेष योगदान रहा है।

अत: बाबासाहब डॉ. बि. आर. अम्बेडकर द्वारा बनाये गये 'हिन्दू कोड बिल' में दिये गये अधिकारों से वर्धा शहर की दलित महिलाओं पर उन अधिकारों का प्रभाव जानने हेतु यह शोध कार्य कर रही हुँ।

इस शोध के **प्रथम अध्याय** में 'अध्ययन क्षेत्र', 'अध्ययन का महत्व', 'साहित्य पूनरावलोकन', 'शोध के उद्देश्य', 'परिकल्पना', एवं शोध प्रविधि को दर्शाया है जिसमें शोध के दौरान जिन प्रविधियों का प्रयोग किया हैं उसे भी दर्शाया है। मेरा अध्ययन क्षेत्र वर्धा शहर था जिसमें मैंने प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रातों के माध्यम से इस शोध को पूरा किया है।

द्वितीय अध्याय में दलित महिलाओं का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष में 'भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति' को दर्शाया है, और हिन्दू कोड बिल के पहले दलित महिलाओं स्थिति' में अनेक समाज सुधारक और डॉ. अम्बेडकर के आंदोलन के दलित महिलाओं के अधिकारों के प्रति किस तरह जागरूक करके, उनमें अपने अस्तित्व की चेतना जगाने के

लिए किस तरह के प्रयास किए इसका वर्णन किया है, और उस समय हिन्दू कोड बिल पहले दलित महिलाओं की स्थिति किस प्रकार थी यह दर्शाया है।

तृतीय अध्याय में मैंने हिन्दू कोड बिल का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। इसमें हिन्दू कोड बिल के इतिहास को दर्शाया है। तथा हिन्दू कोड बिल को लेकर चली विस्तृत बहस प्रस्तुत करते हुए विधान मण्डल के मुख्य सदस्यों तथा हिन्दू कोड बिल के बिच अन्तर्विरोध को प्रस्तुत किया है, और इस में निहित विभिन्न महिला विरोधी एवं महिला पक्ष के विचारों को प्रस्तुत किया गया है। तथा हिन्दू कोड बिल और डॉ. अम्बेडकर की क्या भूमिका रही इसका अध्ययन किया गया है। और डॉ. अम्बेडकर ने हिन्दू कोड बिल में दिये गये दलित महिलाओं के अधिकारों को दर्शाया है।

चतुर्थ अध्याय में बाबासाहब डॉ. अम्बेडकर द्वारा बनाये गये हिन्दू कोड बिल में दिये गये अधिकारों से वर्धा शहर, जिला वर्धा (महाराष्ट्र) कि दलित महिलाओं का किस प्रकार सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक प्रभाव से परिवर्तन आया है। यह जानने के लिए मैंने 32 प्रश्नों की अनुसूची बनाकर वर्धा शहर के दलित बस्तियों में जाकर 50 दलित महिला उत्तरदाताओं का साक्षात्कार लिया है। और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक दलित महिलाओं के अधिकारों के बारे में चर्चा कि है।

1.2 अध्ययन क्षेत्र (Research Area)

शोध कार्य में प्रस्तुत वर्धा शहर, जिला वर्धा, (महाराष्ट्र) का चयन किया गया है। बाबासाहब डॉ. अम्बेडकर ने बनाए हिन्दू कोड बिल का दलित महिला के विकास में क्या भूमिका है तथा हिन्दू कोड बिल के माध्यम से दलित महिलाओं को क्या-क्या अधिकार मिले इसका अध्ययन किया गया है। क्योंकि आज वर्तमान में दलित महिलाओं का जो भी विकास

हो रहा है यह डॉ. अम्बेडकर के हिन्दू कोड बिल के अधिकार के द्वारा ही हो रहा है। यह सच है कि जब डॉ. अम्बेडकर ने हिन्दू कोड बिल संसद में पेश किया तब तत्कालिन सरकार ने उस बिल को बड़े पैमाने पर विरोध किया और उस बिल को पारित नहीं होने दिया जिसके चलते डॉ. अम्बेडकर ने अपने मंत्री पद का त्याग कर दिया। लेकिन बाद में हिन्दू कोड बिल के कलम को धिरे-धिरे संविधान में लाया गया इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि डॉ. अम्बेडकर दलित महिलाओं के अधिकार के प्रति कितने सजग थे।

इसलिए दलित महिला का हिन्दू कोड बिल के अधिकार के चलते उनका विकास हुआ इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के लिए वर्धा शहर, जिला वर्धा, महाराष्ट्र का चयन किया है। क्योंकि वर्धा शहर में दलित महिलाओं कि संख्या भारी मात्रा में है और कई क्षेत्र में दलित महिला जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में प्रगतिपथ पर दिखाई दे रही है। इस शोध कार्य के लिए वर्धा शहर का अध्ययन के लिए चयन किया गया है।

1.3 अध्ययन का महत्व (Importance of study)

किसी भी विषय का चयन कर शोध कार्य इसलिए किया जाता है कि उस विषय में मानव के विकास हेतु किस तरह के प्रावधान किए गए है। शोध कार्य में पूराने तथ्यों की जाँच पड़ताल की जाती है तथा नए तथ्य खोज निकाने जाते है। यह शोध किए गए विषय का आने वाली पीढ़ी के शोधकर्ता को एक मार्गदर्शक के रूप में सहयोग होता है। शोध कार्य करने का अथवा किसी विषय का अध्ययन करने का तभी महत्व होता है। शोध विषय, ‘‘हिन्दू कोड बिल में दलित महिलाओं का अधिकार : एक विलेषणात्मक अध्ययन’’ विशेष संदर्भ- वर्धा

शहर, जिला वर्धा, (महाराष्ट्र) के माध्यम से दलित महिलाओं को क्या अधिकार मिले और उनका कैसे विकास हुआ इसका सविस्तर अध्ययन किया है।

1.4 साहित्य पुनरावलोकन (Rewiew of literature)

हिन्दू कोड बिल में दलित महिलाओं को किस प्रकार के अधिकार मिले इसके प्रति समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित साहित्यों का आधार लिया गया।

1. **डॉ मजू सुमन:** दलित महिलाएँ, इस किताब में दलित महिलाओं के आंदोलन और उनके अधिकार को लेकर अलग-अलग विद्धवानों के लेख अलग- अलग विषयों पर छपें हैं जो दलित महिलाओं कि अलग अलग स्थितियों पर प्रकाश ड़ालते है।
2. **डॉ. कुसुम मेघवाल:** भारतीय महिला के उद्धारक बाबासाहब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, इस किताब में भारतीय दलित महिला की स्थिति और महिला जागरण में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका इस पर चर्चा कि गई है।
3. **डॉ. कुसुम मेघवाल:** भारत में स्त्री दास्य इस किताब में भारत में महिलाओं को किस तरह से गुलाम बनाया गया था और इस गुलामी से मुक्त करने के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले और डॉ. अम्बेडकर का संघर्ष इस पर प्रकाश ड़ाला है।
4. **एल. आर. बाली:** डॉ. अम्बेडकर जीवन और मिशन, इस किताब में डॉ. अम्बेडकर का जीवन दर्शन और उनका संघर्ष तथा दलित महिला के उत्थान में उनका संघर्ष पर चर्चा की है।

5. **डॉ. एम. एल. शहारे:** हिन्दू कोड बिल की हत्या, इस किताब में हिन्दू कोड बिल की हत्या किस प्रकार से कि गई हैं और हिन्दू कोड बिल को पारित करने में डॉ. अम्बेडकर की क्या भूमिका रही है इस पर प्रकाश ड़ाला है।

साथ ही 'दलित दस्तक', 'बहुजन युग', 'योजना', 'कुरूक्षेत्र' मासिक पत्रिका तथा 'साप्ताहिक', 'बहुजन न्युज' समाचार पत्र हिन्दू कोड बिल में दलित महिलाओं का अधिकार पर प्रकाश ड़ालते है। इस लिए यह सभी साहित्य अध्ययन विषय को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

1.5 शोध के उद्देश्य (Objective of Research)

1) दलित महिलाओं के अधिकारों का अध्ययन करना।

2) ऐतिहासिक काल में दलित महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करना।

3) हिन्दू कोड बिल में दिये गये महिलाओं के अधिकारों का अध्ययन करना।

4) वर्धा शहर की दलित महिलाओं में हिन्दू कोड बिल में दिये गये अधिकारों द्वारा आये बदलाव का अध्ययन करना।

1.6 शोध की परिकल्पना (Hypothesis of Research)

इन उद्देश्यों के प्रति पूर्ति हेतु मैंने विषय के तथ्यों को खोज के लिए परिकल्पना का सहारा लिया। परिकल्पना शोध का महत्वपूर्ण अंग है बिना इसके शोध पूरा नहीं किया जा सकता। परिकल्पना शोध से पूर्व, शोध के संभावित निष्कर्ष को निकालने का एक पूर्वानुमान है। शोध के बाद प्राप्त आंकड़ो और निष्कर्ष का संबंध उपकल्पना से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्रस्तुत शोध हेतु निम्नलिखित परिकल्पना को आधार बनाया गया-

- हिन्दू कोड बिल में दिये गये अधिकारों से महिलाओं में सर्वांगिन विकास हुआ है।
- हिन्दू कोड बिल के प्रावधानों से दलित महिलाओं का उत्पीड़न कम हुआ है।
- हिन्दू कोड बिल में दिये गये प्रावधानों से वर्धा शहर के दलित महिलाओं का शैक्षणिक, सामाजिक, राजकिय, आर्थिक विकास हुआ है।

1.7 शोध प्रविधि (Research Methodology)

''हिन्दू कोड बिल में दलित महिलाओं का अधिकार : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन'' इस शोध विषय को निम्न प्रकार के शोध प्रविधियों का उपयोग किया गया है। इस शोध प्रविधि के प्रमुखत: निम्नलिखित दो स्त्रोत हैं-

अ) **प्राथमिक स्त्रोत:**

1) **निदर्शन:**

इस शोध कार्य को करने के लिए वर्धा शहर की 50 दलित महिलाओं को चयनित किया है। इन से प्राप्त सुचनाओं के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण किया है।

2) साक्षात्कार:

साक्षात्कार यह जानकारी इकठ्ठा करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। साक्षात्कार के समय शोधकर्ता तथा उत्तरदाता आमने सामने होने से अच्छी जानकारी मिलती है। मैने भी अपने शोधकार्य को पूरा करने हेतु वर्धा शहर के कुछ दलित महिलाओं का साक्षात्कार लिया है।

3) अनुसूची प्रश्नावली:

प्रश्नावली में उस शोध विषय से संम्बन्धित कुछ प्रश्न बनाए होते है। जो प्रश्नावली उत्तरदाताओं की तरफ से भर ली जाती है। मैंने भी इस शोध विषय को पूरा करने हेतु प्रश्नावली बनाई तथा वर्धा शहर की 50 दलित महिला एवं लड़कियों से उस प्रश्नावली को भर लिया है।

4) **समुह चर्चा:**

समूह चर्चा से कहीं जानकारी मिलती है। मैंने भी अपने शोध कार्य को पूरा करने हेतु दलित महिलाओं के बीच जाकर समूह चर्चा कर जानकारी इकट्ठा की।

5) **उपकरण:**

उपकरण में कैमेरा, टेपरिकार्डर आदि का अपयोग किया जाता है। क्योंकि संबंधित छायाचित्र निकाल सके तथा महत्वपूर्ण भाषण या जानकारी या रेकार्ड कर सके। मैंने भी अपने शोध कार्य में कैमरा का उपयोग किया है।

6) सरकारी एवं गैरसरकारी आंकड़े:

किसी भी विषय में शोध करते समय कुछ सरकारी एवं गैरसरकारी आंकड़े काम में आते है। मैंने भी शोध को पूरा करने हेतु इन आकड़ों का उपयोग किया है।

7) अप्रकाशित लेख:

ऐसे कई लोग होते हैं जो विभिन्न विषयों पर लेखन करते हैं लेकिन उनका लेखन किसी भी समाचार पत्र, किताब, पत्रिका में प्रकाशित नहीं होता लेकिन इनका लेखन बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैंने भी अपने शोध विषय में इस प्रकार के लेखन का प्रयोग किया है।

ब) द्वितियक स्त्रोत

द्वितियक स्त्रोत में शोध से सम्बन्धित पुस्तके, पत्र-पत्रिकाएँ, जर्नल्स, समाचार पत्र आदि का उपयोग किया जाता हैं मैंने भी अपने शोध कार्य को पूरा करने हेतु अपने शोध से सम्बंन्धित पुस्तके, पत्र पत्रिकाएँ, जर्नल्स, समाचार पत्रों का उपयोग कर शोध कार्य किया है।

1.8 अध्यायीकरण

1. शोध विषय का परिचय:

दलित महिलाओं का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

2.1) भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति

2.2) हिन्दू कोड बिल के पहले दलित महिलाओं की स्थिति

हिन्दू कोड बिल का विश्लेषणात्मक अध्ययन

3.1) हिन्दू कोड बिल का इतिहास

3.2) 'हिन्दू कोड बिल' एक विवाद तथा बहस

3.3) हिन्दू कोड बिल और डॉ. अम्बेडकर की भूमिका

3.4) हिन्दू कोड बिल में सम्माहित दलित महिलाओं के अधिकार

वर्धा शहर की दलित महिलाओं पर हिन्दू कोड बिल के अधिकारों का प्रभाव

4.1) सामाजिक प्रभाव

4.2) आर्थिक प्रभाव

4.3) शैक्षणिक प्रभाव

4.4) राजनैतिक प्रभाव

निष्कर्ष एवं सुझाव

1.9) अनुसूची: प्रश्नावली

''हिन्दू कोड बिल में दलित महिलाओं का अधिकार; एक विश्लेषणात्मक अध्ययन'' (विशेष संदर्भ: वर्धा शहर, जिला वर्धा (महाराष्ट्र) इस शोध विषय को पूरा करने हेतू मैंने 32 प्रश्नों की अनुसूची का निर्माण किया इस अनूसूची के माध्यम से वर्धा शहर के दलित महिलाओं से जानकारी प्राप्त कि गई।

1.10) संदर्भ ग्रंथ-सूची:-

''हिन्दू कोड बिल में दलित महिलाओं का अधिकार: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन'' (विशेष संदर्भ: वर्धा शहर जिला वर्धा (महाराष्ट्र) इस शोध विषय को पूरा करने हेतु इस शोध विषय से सम्बन्धित पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएँ, जर्नल्स, समाचार पत्र इत्यादि का संदर्भ ग्रंथ के रूप में चयन किया गया।